सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 103 राँची, सोमवार, 23 माघ, 1939 (श०)
12 फरवरी, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

19 जनवरी, 2018

विषयः- राज्य योजनान्तर्गत मधुपुर नगर परिषद् की रू० 60,97,39,000/- (साठ करोड़ संतानवे लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-5/यो०/श०जला०(मधुपुर)-01/2017/न०वि०आ०-393,-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना नगर विकास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । इस क्रम में मधुपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत आमजनों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मधुपुर शहरी जलापूर्त्ति योजना का कार्यान्वयन किया जाना है ।

2. उक्त जलापूर्ति योजना के पूर्व वर्ष 1974 में मधुपुर के शहरी क्षेत्रों में 10.40 वर्ग किमी में पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति प्रारम्भ किया गया था । पुरानी जलापूर्ति योजना से केवल 30 से 40 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में केवल दिन के समय ही जलापूर्ति की जा रही थी एवं योजना काफी पुरानी होने के कारण, नयी जलापूर्ति योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता है ।

3. उक्त मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना, वर्ष 2046 में मधुपुर शहरी क्षेत्रों के संभावित जनसंख्या को ध्यान रखते हुए तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत मधुपुर के शहरी क्षेत्रों को जलापूर्ति हेतु दो जोन में विभाजित करते हुए 13.10 जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार की गयी है ।

4. उक्त मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना का जल स्त्रोत 'पत्रा नदी' होगी ।

5. उक्त योजना के कार्यशील होने पर मधुपुर शहर के पूरे शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 18 (अट्ठारह) घंटे पेयजल जलापूर्ति उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

6. परामर्शी TCE (Tata Consulting Engineers Ltd.) द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत प्रदान की गई है :-

S. No.	PARTICULARS	ZONE I (Rs Lakhs)	ZONE II (Rs Lakhs)	TOTAL (Rs Lakhs)
1	**PART - "A"**			
	Construction of Infiltration Well with Raw Water Pump House	145.35	131.23	276.58
2	**PART - "B"**			
	Construction of Water treatment plant with necessary accessories & clear water reservoir including the cost of an Approach road. Boundary wall and gate and sump cum pump house in zone II. Proper care needs to be taken so that WTP grade level should be above HFL	359.69	72.47	432.16
	• Renovation/modification/ up gradation cost for existing 5 MLD WTP in Zone II which includes study, performance evaluation of all units from process and hydraulic pint of view and introduction of new process units, if required (based on actual site condition) for successful, 5 MLD plant operation for 18 house day. • Physical condition assessment of various structures. Review of all process units form structural point of view (testing of structures as per good engineering practice, as per actual site condition), and carrying out modification/ renovation/up gradation as per instruction of Engineering in charge.	Ls	80.00	80.00

	Performance evaluation and study of all electro mechanical, instrumentation and automation items as per good engineering proactive. Renovation, replacement, up gradation of electromechanical, instrumentation items as per actual site condition for successful 5 MLD WTP plant operations. • Area development of at existing WTP, internal road etc as per instruction of Engineering in charge. • The scope further includes providing overall proposal and carrying out replacement/renovation/modification/up gradation work for successful 5 MLD plant operation after getting approval on the proposal from the reviewing authority.			
3	**PART - "C"**			
	Laying of raw water and clear water transmission pipelines for intake wells to WTP (including various voices and valve chambers)	430.13	222.94	653.07
4	**PART - "D"**			
	Construction of Clear Water Reservoir (underground sump with 1 hour pumping storage) at ESR and Pump House	93.07	74.07	167.14
5	**PART - "E"**			
	Construction of ESRs (including necessary piping & fittings/specials, valves & valve chambers, and bulk flow meter etc. within the given battery limit	232.07	87.49	320.01
6	**PART - "F"**			
	Construction of 2 nos. of Staff Quarters and DG rooms at OHT (1 for each zone).	22.82	22.82	45.64
7	**PART - "G"**			
	E/M works (including pumps & motors, HT/LT panels, starters & actuators, transformers, dedicated feeder, cables and automation etc.)	242.48	215.89	458.37
8	**PART - "H"**			
	Providing and laying distribution pipeline network (including fittings & specials, valves & valve chambers, and ferrules with necessary offshoots etc. and providing House service connections	1547.55	441.38	1988.93
		3073.62	1348.29	4421.91
9	Cost for NOC/Consent certificates/Utility Shifting@ 10 Lacs	10.00	10.00	20.00
10	**sub Total - I**	**3083.62**	**1358.29**	**4441.91**
11	Labour Cess @ 1%	30.74	13.48	44.22

12	Budget for Environmental Management Plan	4.43	4.43	8.86
13	Cost of PMC charges @ 2% capital cost	61.47	26.97	88.44
14	Charges for JUIDCO as per Finance department Jharkhand notification no. 3210	174.77	76.58	241.10
	Total - (I & II)	3539.42	1552.35	5091.77
15	O & M Cost (for five years)			1272.86
	Grand Total including 5 years O & M Cost			1272.86
(Project cost is excluding of DPR preparation cost)				6097.39

7. उक्त योजना, मधुपुर नगर परिषद की वर्त्तमान जनसंख्या 58548 (वर्ष 2016) को आधार मानते हुए तैयार की गई है । इस योजना का आधार वर्ष 2016 है, जो अगले 30 वर्ष अर्थात् 2046 की संभावित जनसंख्या 75407 की मांग को पूरा करेगी । इस योजना की कुल क्षमता वर्ष 2046 में संभावित मांग 13.10 MLD के अनुरूप डिजाईन की गई है ।

8. इस योजना का कार्यान्वयन JUIDCO Ltd. के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपना कर किया जाएगा ।

9. उक्त योजना को अगले 18 (अट्ठारह) माह में पूरा कर लिया जाएगा एवं योजना लागत में 05 (पाँच) वर्षों तक मरम्मति एवं अनुरक्षण (O&M) शामिल है ।

10. उक्त योजना का कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में OSP/SCSP प्रक्षेत्र अन्तर्गत पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद के अन्तर्गत सुसंगत बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है ।

11. योजना स्वीकृति के उपरांत उत्तरोत्तर वित्तीय वर्षों में योजना कार्यान्वयन हेतु राशि की स्वीकृति उक्त बजट शीर्ष से की जा सकेगी ।

12. योजना का कार्यान्वयन विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

13. दिनांक 9 जनवरी, 2018 को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०-11 के रूप में उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 103 -- 100